उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 482/VII-A-1/2024–24 ख/2007
देहरादूनः दिनांकः 01 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली–2023 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली–2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली–2024 है।

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 (1) (ख) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 6 के उपनियम (1) (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा अभिलेखः– (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–	6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा अभिलेखः– (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–
(ख) स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.00 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा। परन्तु स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।	(ख) स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.00 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा। परन्तु इस नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक से पूर्व आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के 4.00 है0 से कम तथा 2.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी तथा इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व गौण खनिज नीति–2015 एवं पूर्व नियमावली के प्राविधानानुसार स्वीकृत खनन पट्टों का नवीनीकरण जिलाधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा नवीनीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 0.500 एकड़ अर्थात 10 नाली होगा।

नियम 10 (1) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

10– खनन पट्टे की अवधि :– (1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है0 क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेगें, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य प्रतिबन्धित रहेगा।	10– खनन पट्टे की अवधि :– (1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है0 क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेगें, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य प्रतिबन्धित रहेगा, परन्तु नदी तल अवस्थित निजी नाप भूमि/राजस्व/वन भूमि के 05 है0 तक एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के ऐसे खनन क्षेत्र, जो नेशनल पार्क/सेंचुरी की 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित हैं, को 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।

नियम 13 में उपनियम 5 का अंत:स्थापन

4. मूल नियमावली के अध्याय–2 के नियम 13 के उपनियम (4) के पश्चात उपनियम (5) को निम्नवत अंत:स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

13– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

(5) यदि इस नियमावली के नियम–69 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेकेदार/सफल निविदाकार का चयन किया जाता है तो, पट्टधारक के द्वारा रायल्टी धनराशि/ पट्टाधनराशि और अपरिहार्य भाटक का भुगतान चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को किये जाने हेतु पूर्व निष्पादित पट्टाविलेख को महानिदेशक/ निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म से संशोधित कराया जाना होगा।

नियम 18 (1) का संशोधन

5 मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 18 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

18– स्वामित्व :– (1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित	18– स्वामित्व :– (1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित

Scanned with OKEN Scanner

मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थानें चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थानें चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

परन्तु इस नियमावली के नियम–69 के प्रावधानों के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा उपखनिजों के स्वामित्व (रायल्टी)/पट्टाधनराशि का भुगतान किया जायेगा।

नियम 19 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

19– अपरिहार्य भाटक–

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों /एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी, परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नही। यदि पट्टा क्षेत्र में

19– अपरिहार्य भाटक–

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों /एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी, परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नही। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक

Scanned with OKEN Scanner

	एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।	खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा। परन्तु इस नियमावली के नियम–69 के प्रावधानों के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा नियम–19 की प्रतिस्थिति के अनुसार अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जायेगा।
नियम 20(2) का संशोधन	6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–4 के नियम 20 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–	
	20–ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा:–	20–ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा:–
	(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/ निवासियों की समितियों/ फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।	(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म /कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे। परन्तु नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के 05 है0 तक एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के ऐसे खनन क्षेत्र जो नेशनल पार्क/सेंचुरी की 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, को 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

नियम 26(1) का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–4 के नियम 26 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

26– पट्टा विलेख का निष्पादन :–	26– पट्टा विलेख का निष्पादन :–
1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानों किस्म के उपखनिजों का पट्टाविलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।	1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टों के आशय पत्र की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानों किस्म के उपखनिजों का पट्टाविलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु यदि इस नियमावली के नियम–69 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेकेदार /सफल निविदाकार का चयन किया जाता है तो, पट्टधारक के द्वारा रायल्टी धनराशि /पट्टाधनराशि और अपरिहार्य भाटक का भुगतान चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को किये जाने हेतु पूर्व निष्पादित पट्टाविलेख को महानिदेशक/निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म से संशोधित कराया जाना होगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner